



न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ (अलवर)

(पीठारीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :- 03 / 24 / 2024

ऑनलाईन नम्बर:-2024 / 232

प्रवेश तिथि:-02.04.2024

1. पटवारी हल्का थाना राजाजी जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

बनाम
1. प्रेम चन्द, धर्मेन्द्र, पुत्रान नन्दलाल कौम बैरवा निवासी थाना तहसील राजगढ जिला अलवर।(जमाबन्दी खाता संख्या 468 अनुसार)

.....अप्रार्थी


राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपरिथत- तहसीलदार राजगढ-प्रार्थी

---निर्णय:--

दिनांक 08/09/2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 417/0.54 मे से 0.27 है 0 वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादीत आराजी का खातेदारी अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि है। जिसे अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर अवैध प्लॉटिंग कर जमीन को खर्दु-बुर्द कर रहे है। जिसका अप्रार्थी को हक नही हे। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिसे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के लिए मुखसमत दिनांक 02.04.2024 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी खसरा 417/0.54 मे से 0.27 में अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। बिना सक्षम स्वीकृति के ग्राम थाना के आराजी खसरा संख्या 417/0.54 मे से 0.27 पर अवैध प्लॉटिंग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि समपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। ना ही कृषि भूमि का स्वरूप बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल करने व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी बाद सुचना तामिल असालतान उपस्थित न्यायालय आये और उनके द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल मिशल है। जो निम्नानुसार है-


उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

1. प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी खसरा संख्या 417/0.54 में से 0.27 वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसमें कोई अवैध प्लाटिंग नहीं की गई है। बल्कि सभी सहखातेदारों ने काश्त की सुविधा के लिए आपसी सहमति से मौके पर बाहमी तौर से विभाजित कर अपने अपने हिस्से की भूमि की सुरक्षा के लिए छोटी-छोटी दीवार की है। और भूमि पर मौके पर कृषि कार्य किया जा रहा है अन्त में प्रार्थना पत्र ग्रुप फरमाने का निवेदन किया गया।
3. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ की सुनी गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।
4. बहस अप्रार्थीगण की सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को मात्र दोहराया गया।
5. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात कि खातेदार अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 417/0.54 में से 0.27 वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थीगण ने ही आपस सहमति से बाहमी तौर पर बटवारा किया हुआ है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का प्लाटिंग कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः—

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र आराजी खसरा संख्या 417/0.54 है 0 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो। यह आदेश आज दिनांक 08./09/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपसहायक अधिकाारी, राजगढ
जिला-अलवर